31/7/19

एकमात्र उपाय

पत्रावली बाबत आदेश पेश हुई। रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थिनी बाबत सरहद डिक्री के खसरा नं. 2658 रकबा 10 बीघा में से 01 बीघा भूमि पर काबिज है। मौका उपस्थित विपक्षी अतुमार भी प्रार्थिनी इस 01 बीघा भूमि पर रहवासी मकान बनाकर निवास करती आ रही है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने से प्रार्थिया का एक हिस्सा निहित है। एक किसी का विभाजित प्रश्न वाद में होकर है लिखने सपष्ट लगाने की संभावना है। अभ्यर्थिगण को पाबन्द पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थिनी के कब्जा कब्जा में दखल अंदाजी होने की पूरी संभावना है।

अतः अभ्यर्थिगण को नोटिस स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे बाबत सरहद डिक्री के ख० नं. 2658 रकबा 10 बीघा में से प्रार्थिया के कब्जा कास्त 01 बीघा भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी / हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें तथा उक्त 01 बीघा भूमि की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली दूसरे वाद के साथ संलग्न हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner